

पेंशन हेतु समेकित जाँच एवं अभिशंषा प्रपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी की पूर्व में पेंशन स्वीकृत नहीं है और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी दर्ज नहीं है।
2. प्रार्थी के परिवार में सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
3. प्रार्थी आयु, आय व आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से पेंशन योग्य हैं।

ग्राम विकास अधिकारी

2. प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है।
2. प्रार्थी के हिस्से में राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बीघा भूमि सिंचित/असिंचित आती है।
3. प्रार्थी, आयु, आय व आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से पेंशन योग्य हैं।

हस्ताक्षर पटवारी